



# राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

पत्रांक : 10383 / 28/76/एक/2018-19  
सेवा में,

दिनांक : 07 फरवरी 2019

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-सहारनपुर।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण  
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹ में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एक्सिस बैंक	915010064759942	IFSC Code UTIB0000420	223.373

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
1	सहारनपुर	म०ब०-83	न० नि० सहारनपुर	वार्ड न० 38 गडी मूलक नम्बर 02 में बत्रा से प्रमोद के मकान तक, प्रमोद के मकान से गोपाल मिश्र के मकान तक, इण्डियन ओवरसीज बैंक से प्रवीण वर्मा के मकान तक, राधिका कुंज से संटी के मकान तक, सेटी के मकान से विरेन्द्र कुमार के मकान तक, वरदान (धर्मेन्द्र पुण्डीर) के मकान से हरी गोपाल के मकान को होते हुए विनोद के मकान तक, सोम के मकान से अमित के मकान तक, सोम प्रकाश के मकान से हरी सिंह के मकान तक, प्रेम के मकान से बनारसी के मकान तक, विरेन्द्र के मकान से ओमप्रकाश के मकान तक, ज्योतिराम के मकान से दलीप कुमार के मकान तक, विनोद के मकान से राम के मकान तक, मांगे राम के मकान से नत्थू के मकान तक इण्टरलॉकिंग टायल्स से सड़क व नाली निर्माण कार्य।	35.152	50%
2	सहारनपुर	म०ब०-83	न० नि० सहारनपुर	वार्ड न० 29 सुखपुरा में रोहन के मकान से रणजीत के मकान, रणजीत के मकान से त्रिलोकिशा के मकान से राम कुमार के मकान तक, पप्पू सुग्धन के मकान से द्वारिका प्रसाद को होते हुए राजेन्द्र के मकान तक, द्वारिका प्रसाद से रामनाथ के मकान तक, रामनाथ के मकान से	29.783	50%



# राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

44/12

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनागत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
				काली मंदिर तक, रामनाथ के मकान से डा० अंकित यादव को होते हुए राज फोटो स्टूडियो तक, मामचन्द्र के मकान से विनोद को होते हुए दीपक के मकान तक, रामदास के मकान से मुकेश के मकान तक, बसीर अहमद से ओमप्रकाश के मकान तक, भगवानदास के मकान से जगबहादुर के मकान तक, भोला के मकान से अनवर के मकान तक, श्याम के मकान से जैन परचूनिया को होते हुए दलीप के मकान तक, प्रेम सिंह के मकान से हरफूल को होते हुए नीलम शर्मा के मकान तक, हरफूल के मकान से राजकुमार के मकान तक इण्टरलॉकिंग टायल्स से सड़क व नाली निर्माण कार्य।		
3	सहारनपुर	म०ब०-83	न० नि० सहारनपुर	वार्ड न० 03 ओजपुरा की मधुवन विहार में सी०सी० शर्मा के मकान से सन साईन स्कूल तक, सन साईन स्कूल (गली न० 2) से साधूराम के मकान तक, वी०डी० महाजन से दिनेश के मकान तक, मनोज कश्यप के मकान से महेन्द्र के मकान होते हुए ओमपाल के मकान तक (गली न० 4) अतर सिंह पटवारी के मकान से शेर सिंह के मकान तक, गली न० 10-शिव कुमार के मकान से सूरज भान के मकान तक इण्टरलॉकिंग टायल्स से सड़क व नाली निर्माण कार्य।	21.660	50%
4	सहारनपुर	म०ब०-83	न० नि० सहारनपुर	वार्ड न० 02 अम्बा कालोनी (पिंजोरा) में योगेन्द्र फौजी से देवेन्द्र के मकान तक, देवेन्द्र से देवीवन्ती के मकान तक, मनोज के मकान से श्री निवास के मकान तक राजीव गोयल से प्रदीप के मकान तक, नरेश के मकान से सचिन के मकान तक, संजय के मकान से अमरीश के मकान तक, राकेश के मकान से रमेश के मकान तक, संजीव के मकान से प्रमोद के मकान तक, मनोज के मकान से श्री निवास के मकान तक, प्रदीप के मकान से राजकुमार के मकान तक, डा० रविन्द्र के मकान से बबली के मकान को होते हुए राजकुमार के मकान तक इण्टरलॉकिंग टायल्स से सड़क व नाली निर्माण कार्य।	19.066	50%
5	सहारनपुर	म०ब०-83	न० नि० सहारनपुर	वार्ड न० 13 माहीपुरा की अनुसूचित जाति बस्ती में रविदास धर्मशाला से मेनपाल के मकान तक, श्रवण के मकान से प्रदीप के मकान तक, प्रदीप के मकान से विमल के मकान को होते हुए रामधन के मकान तक, विमल के मकान से	31.086	50%



44/3

# राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
				कुलदीप के मकान को होते हुए इसम सिंह के मकान तक, धीर सिंह के मकान से पदम व असलम के मकान को होते हुए प्रीतम के मकान तक, डा० नरेन्द्र कपिल के मकान से रोज पब्लिक स्कूल को होते हुए भारत ट्रेक्टर्स तक इण्टरलॉकिंग टायल्स से सड़क व नाली निर्माण कार्य।		
6	सहारनपुर	म०ब०-83	न० नि० सहारनपुर	वार्ड न० 21 टैगोर गार्डन (बाल्मीकि बस्ती) में शिव मन्दिर से शिवम डेरी तक, प्रेम के मकान स जल सिंह के मकान तक, शिव चरण के मकान से राजेन्द्र के मकान तक, ब्रहमपुरी हरिओम के मकान से आर०बी०पब्लिक स्कूल को होते हुए शिव मन्दिर व मामचन्द्र के मकान तक इण्टरलॉकिंग टायल्स से सड़क व नाली निर्माण कार्य।	41.082	50%
7	सहारनपुर	म०ब०-83	न० नि० सहारनपुर	वार्ड नं. 20 दाबकी जुनारदार की अनुसूचित जाति बस्ती में स्वास्थ्य केन्द्र से उर्मिला के मकान तक, उर्मिला के मकान से अनवर के मकान तक, कृष्ण मंदिर से इसरार के मकान तक, अरशद के मकान से इरार के मकान तक, शीशपाल के मकान से सौनी के मकान, किशन लाल के मकान से रेलवे फाटक तक इण्टरलॉकिंग टायल्स से सड़क व नाली निर्माण कार्य।	17.096	50%
8	सहारनपुर	म०ब०-83	न० नि० सहारनपुर	वार्ड न० 20 (पिजोरा) गलिस्ता कॉलोनी में शाहिद के मकान से एस के पाठक के मकान तक, खेड़ा भूमिया से राजकुमार को होते हुए मैन सड़क तक, मैन सड़क से शकुन्तला के मकान तक, रणवीर के मकान से पृथ्वी के मकान तक, सतपाल के मकान से परमात्मा शरण के मकान तक इण्टरलॉकिंग टायल्स से सड़क व नाली निर्माण कार्य।	28.448	50%
	योग				223.373	

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।



## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।



44/15

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027  
Website-sudaup.org

- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजनाओं में अवमुक्त की गई धनराशि में से अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(साजिद आजमी)  
वित्त नियन्त्रक

### पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि० अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)  
वित्त नियन्त्रक